

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 192/2026

अनवान : -

1. मिलखराज पुत्र लखूराम जाति कम्बोज निवासी हाल बशीर त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. बिहारीलाल पुत्र लखूराम जाति कम्बोज निवासी हाल बशीर त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. भगवानदास पुत्र लखूराम जाति कम्बोज निवासी हाल गली न० 17 वार्ड न. 34 पूजा कॉलोनी श्रीगंगानगर त० व जिला श्रीगंगानगर।
2. दीवानचन्द पुत्र लखूराम जाति कम्बोज निवासी 61 एफ त० करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. बनवारीलाल पुत्र लखूराम जाति कम्बोज निवासी 61 एफ त० करणपुरा जिला श्रीगंगानगर।
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी परमजीत सिंह व अरविन्द नैण अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादी व प्रतिवादीगण को चक 10 एफटीपी के खाता सं० 68/69 की कुल 3.1620 है. व चक 10 एफटीपी के खाता सं० 91/92 की कुल 0.506 है. में निम्न प्रकार से खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है -

क वादी सं० 1 मिलखराज को प्राप्त आराजी:- चकन० 10 एफटीपी के खाता सं० 68/69 के प०न० 198/245 मु० 50 किलान० 16/1/.247, 17/1/.247 प्रत्येक दक्षिण दिशा, 24/2/.008 है० पूर्व दिशा, 25/1/.126 है० कुल 0.628 है०


ख वादी सं० 2 बिहारीलाल को प्राप्त आराजी :- चकन० 10 एफटीपी के खाता सं० 68/69 में प०न० 199/245 मु० 49 किलान० 19/.253, 20/.253, 21/2/.021 है० उत्तरी दिशा, कुल .527 है.

ग.प्रतिवादीसं० 1 भगवानदास को प्राप्त आराजी: - चकन० 10 एफटीपी के खाता सं० 68/69 के प०न० 198/246 मु० 57 किलान० 4 ता 7 प्रत्येक किला की .253 है०, प०न० 198/245 मु० 50 किलान० 24/1/.245 है० पश्चिम दिशा कुल 1.257 है.

घ. प्रतिवादी सं० 2 दीवानचन्द को प्राप्त आराजी :- चकन० 10 एफटीपी के खाता सं० 68/69 के प०न० 199/245 मु० 49 किलान० 21/1/.232 है० दक्षिण दिशा, 22/.253, प०न० 199/246 मु० 58 किलान० 1/2/.143 है० पूर्व दिशा, कुल .628 है०.

ड.प्रतिवादी सं० 3 बनवारीलाल को प्राप्त आराजी - चकन० 10 एफटीपी के खाता सं० 91/92 के प०न० 198/245 मु० 50 किलान० 14/.253, 15/.253, इसी चक के खता सं० 68/69 के प०न० 198/245 मु० 50 किलान० 16/2/.006 है०, 17/2/.006 है० उत्तर दिशा, प०न० 199/246 मु० 58 किलान० 1/1/.110 है० पश्चिम दिशा कुल 0.628 है०। इसी अनुसार चक 10 एफटीपी के खाता सं० 91/92 में भगवानदास का नाम कलमजन किया जाकर खाता विभाजन अलग से कायम किया जावे। यदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 29.5.26 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी एवं
(सत्यनारायण)
पदेन
टिब्बी

R.A.S

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)